वित्तीय स्वीकृति

संख्य -47/1842 /52-3-14-बजट(12)/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक 1 अगस्त, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र □0-746/52-3-14-□□□(13)/14, दिनांक 20.5.2014 के अनुक्रम में तथा वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप 0-□□-1-2457/ □□-2014-231/2014, दिनांक 22.7..2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्त -2(13) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छ /छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धन 0 42,52,36,000/- के सापेक्ष लेखानुदान के रूप म स्वीकृत धनराशि रू0

14,17,45,000/- (रू0 चैदह करोड़ सत्रह लाख पैतालिस हजार मात्र) □□ समायोजित करने के उपरान्त रु0 28,34,91,000/-(रू0 □□□□□□ □□□□ चैतिस लाख इक्वानवें हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छा /छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप दंेय धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सा क्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालय /मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगत अनियमितताओं की शिकायत हो उनमंे छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल सं वना को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालयों/मदरसों के छ /छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगत छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सं □ अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं □□ □ जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों केअन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक , □□ मामलों में व्यय करने सं पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सः 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्य -03-अल्पसंख्यकों का क - 0303-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं /छात्राओं को छात्रवृ -21- छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-1842(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,

http://shasanadesh.up.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1

आज्ञा से,

(vkj0 ,u0 f}osnh)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in